01/01/2007/MSEZ/UAC

I/44299/2023

मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 14/02/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14/02/2023 को सुबह 11:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामित)।
2. श्री योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (उद्योग), डीआईसी, मुरादाबाद (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार)
3. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी (CGST) मुरादाबाद।
4. श्री भूपेंद्र कुमार मर्तोलिया, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी (ICD) मुरादाबाद।
5. श्री आनंद प्रकाश, निरीक्षक, आयकर विभाग, मुरादाबाद।
6. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए।
7. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, (DGFT) दिल्ली।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान सर्वश्री (i) राजेश कुमार, उप. विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड (NSEZ) (ii) किरण एम मोहादिकर, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), मुरादाबाद एसईजेड (SEZ), (iii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) और (iv) जोसेफ उपाध्याय, आशुलिपिक, मुरादाबाद एसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। थोड़े समय के बाद परिचय, कार्यसूची क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

01. दिनांक 13/01/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 13/01/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के खिलाफ कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 13/01/2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

सुरेंद्र मलिक

I/44299/2023

02. <u>एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19 के संदर्भ में एनएफई/प्रदर्शन और एलओए (LOA) के नवीकरण की</u> निगरानी के लिए प्रस्ताव।

मैसर्स मरीना इंडिया।

1. इकाई के भागीदार मोहम्मद अतहर अनुमोदन समिति के समक्ष पेश हुए और उन्होंने अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2020-21 तक पिछले 5 वर्षों के ब्लॉक में 30044.27 लाख रुपये का निर्यात किया और 30044.27 लाख रुपये का एनएफई (NFE) हासिल किया।

2. समिति ने मोहम्मद अतहर को सूचित किया कि 2016-17 और 2017-18 के दौरान किए गए निर्यात के मुकाबले नौ महीने से अधिक की प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा 290.11 करोड़ रुपये थी। श्री अतहर ने बताया कि 2020 में, दोनों साथी कोविड से पीड़ित थे और इसलिए वे अपने लंबित प्रेषण का पालन करने में असमर्थ थे। उन्होंने यह भी बताया कि इकाई ने विकासक, मुरादाबाद एसईजेड के कार्यालय में बैंक और इकाई के भागीदार द्वारा समर्थित भुगतान सलाह प्रस्तुत की थी। बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) जमा करने के लिए आवश्यक समय अवधि के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि आईईसी के निलंबन के कारण बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) नहीं बन रहा है।

3. अनुमोदन समिति ने इकाई प्रतिनिधि को सूचित किया कि ज्ञात अभ्यास के अनुसार, एडी बैंक द्वारा बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) उत्पादन आईईसी (Import Export code) के निलंबन से प्रभावित नहीं हो सकता। इसके अलावा, यदि इकाई को इस तरह के किसी भी मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है, तो इकाई एडी बैंक से इस मामले में दस्तावेजी साक्ष्य देने के लिए कह सकती है, जिसे आगे विकासक, एनएसईजेड के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

4. आगे, एसओ (सीमा शुल्क), मुरादाबाद एसईजेड ने इकाई प्रतिनिधि से इकाई के खिलाफ डीआरआई (DRI) के मामले के बारे में पूछा, जिसमें श्री अतहर ने बताया कि उनके या इकाई के खिलाफ ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि डीआरआई ने सह-नोटिस के रूप में केवल कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया और उनके बयान दर्ज किए। इसके अलावा, श्री अतहर ने बताया कि उन्होंने उन पक्षों के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी, जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए थे। एसओ (सीमा शुल्क) ने इकाई से अनुरोध किया कि इकाई प्रतिनिधि द्वारा दावा किए गए अदालती मामले के विवरण/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

सुरेंद्र मलिक

5. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडीए (UPSIDA) ने सूचित किया कि इकाई पर विकासक का कोई बकाया नहीं है।

6. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, नोट किया कि इकाई ने 290.11 करोड़ रुपये की प्राप्ति के लिए अभी भी लंबित विदेशी मुद्रा प्रेषण को प्राप्त करने के लिए कोई प्रगति नहीं की है। समिति ने निर्देश दिया कि इकाई लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करेगी और जल्द से जल्द विकासक, एनएसईजेड के कार्यालय में बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) जमा करेगी। अनुमोदन समिति ने आगे निर्णय लिया कि इकाई से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर मामले को फिर से पूरे तथ्यों के साथ अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जा सकता है।

3. मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस का प्रस्ताव:-

i. चंदन की लकड़ी के तेल के काम की अनुमति।

ii. चंदन की लकड़ी फिंगर चिप्स एचएस कोड 12119050 और सैंडल वुड ऑयल 33012937 के निर्यात की अनुमति के संबंध में

1. इकाई के सीईओ श्री मोहन माहेश्वरी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वह अक्टूबर 2023 तक चंदन का तेल निकालने के लिए मुरादाबाद एसईजेड में ही एक इकाई स्थापित करेंगे। हालाँकि, तब तक, उन्होंने अनुरोध किया कि इकाई के पास उपलब्ध चंदन के अपशिष्ट स्टॉक से चंदन का तेल निकालने के लिए कार्य करने की अनुमति दी जाए। पूछने पर श्री मोहन माहेश्वरी ने यह भी बताया कि वे अपना चंदन का उप अनुबंध के लिए कन्नौज (यूपी) भेजेंगे।
2. श्री माहेश्वरी ने समिति को सूचित किया कि चंदन का तेल (आईटीसीएचएस 3301 2937) और चंदन की लकड़ी फिंगर चिप्स (आईटीसीएचएस 12119050) का निर्यात इकाई के अधिकृत संचालन के लिए स्वीकृत है लेकिन प्रतिबंधित वस्तु होने के कारण वह इन वस्तुओं का निर्यात करने में असमर्थ है।

3. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:

i. समिति सरकारी जांच संस्था एफएफडीसी (FFDC) से सुझाव लेगी कि क्या यह पता लगाने की कोई प्रक्रिया है कि निकाला गया तेल आयातित चंदन का है या नहीं। समिति ने आगे निर्णय लिया कि चंदन का तेल निकालने और चंदन के तेल के निर्यात के काम की अनुमति एफएफडीसी (FFDC) से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद तय की जाएगी।

सुरेंद्र पालिक

ii. डीजीएफटी पत्र दिनांक 07.08.2018 की एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के आधार पर *""डीटीए और एसईजेड से लाल चंदन की लकड़ी और चंदन की लकड़ी के उत्पादों के निर्यात और आयात को विनियमित करना" और वाणिज्य विभाग, एसईजेड अनुभाग से दिनांक 23.11.2022 का पत्र "एसईजेड इकाई द्वारा चंदन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात/निर्यात के मामले में दिशानिर्देश/निर्देश"* ,अनुमोदन समिति ने मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस को आईटीसी (एचएस) कोड 12119050 के तहत चंदन की लकड़ी फिंगर चिप्स के निर्यात की अनुमति इस शर्त के अधीन दी कि निर्यात उत्पाद यानी चंदन की लकड़ी फिंगर चिप्स का निर्माण किया जाएगा और यूनिट के एसईजेड परिसर में केवल आयातित चंदन से ही संसाधित किया जाता है।

iii. इकाई विकासक अर्थात यूपीएसआईडीए से अदेय प्रमाण पत्र/एनओसी प्राप्त करेगी और इसे यथाशीघ्र विकासक, मुरादाबाद एसईजेड (SEZ) के कार्यालय में जमा करेगी।

iv. इकाई 4,18,81,151.00 रुपये (चार करोड़ अट्ठासी लाख इकतालीस हजार एक सौ इक्यावन मात्र) की लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तुरंत करेगी और इस कार्यालय में जल्द से जल्द बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी) जमा करेगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

ए बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त